Dr. Becha Prasad Singh.
Associate Professor
Deptt of Pol. Sci.
Sher Shah College, Sasaram.

B.A. (H) Hons.
Paper - VII, VIth

प्रश्न → स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

भूमिका-

उत्तर → स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जन्म अमरीका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में से हुआ है। यहाँ स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की स्थापना समाज में शक्तिशाली वर्गों के आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं नियमन द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किया गया है। जो आज राजनीतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि में ऐसे आयोगों की स्थापना कारगर साबित हुई है। 19वीं शताब्दी के अन्तिम और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में औद्योगीकरण तथा समाजवादी विचारधारा के प्रगति के फलस्वरूप राज्य के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार होने के कारण कार्यपालिका के शक्तियों में वृद्धि होने लगा। अमेरीका का संविधान शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच अविश्वास एवं स्पर्द्धा की भावना देखी जाती थी अतः कॉंग्रेस ने एक नया रास्ता निकाला जिसमें वहाँ स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की स्थापना। इन आयोगों की स्थापना कॉंग्रेस द्वारा की गयी और उन्हें कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया।

• स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का अभिप्राय - नियामकीय आयोगों को स्वतंत्र इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है बल्कि इन्हें स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि इन्हें अपने नीतियों के निर्माण करने तथा अपने वित्तीय साधनों को नियंत्रित करने के पूरे अधिकार हैं। इसीलिए इन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। ड्रिमॉक के अनुसार "इन आयोगों को 'स्वतंत्र' इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनपर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्यायपालिका का नियंत्रण नहीं होता बल्कि इसलिए कि वे मंत्रिमंडल के स्थापित निष्पाद विभागों की परिधि से बाहर होते हैं।" इन्हें नियामक कहने का कारण यह है कि इनकी स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना होता है

फ्रिमॉक के अनुसार - "उनको नियामक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वे अस्वस्थ प्रतियोगिता के दोषों को दूर करने की दृष्टि से नागरिकों की कुछ क्रियाओं का नियमन करते हैं।" उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 'अन्तरराज्यीय वाणिज्य आयोग' को ले सकते हैं। यह विभिन्न राज्यों में रेलों और सड़कों पर यातायात के सभी साधनों चलाने वाली कम्पनियों और इनके द्वारा लिये जानेवाले किरायों को नियंत्रित करता है। इन्हें आयोग इसलिए कहा जाता है कि इनके सदस्यों की संख्या 5 से 11 तक होती है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि इनके निर्णय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पूर्वक हो सकें।

फ्रिमॉक के अनुसार, स्वतंत्र नियामक आयोग के दो प्रमुख लक्षण हैं - पहला राष्ट्रपति (कार्यपालक) के नियंत्रण से मुक्त होते हैं; न तो वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं; न ही वे अपने कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। नियामक आयोग का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि उनके कार्य निम्न प्रकृति के होते हैं। अर्थात प्रशासनिक, अर्धविधायी तथा अर्धन्यायिक। इनको शासन की चौथी शाखा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका कारण है कि अमरीकी शासन व्यवस्था में से किसी में भी पूरी तरह समाविष्ट नहीं किये जा सकते।

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोग कार्यपालिका के अधीन नहीं होते। इसीलिए इसे शासन का शीर्षविहीन शाखा की संज्ञा दी जाती है। उन्हें 'कॉंग्रेस की भुजाएं' भी कहते हैं क्योंकि ये कॉंग्रेस के अधीन होते हैं। इन्हें "स्वाधीनता के द्वीप" नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं।

स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की विशेषताएँ → स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(1) मण्डल अथवा आयोग के रूप में गठन → इनका गठन मण्डल अथवा आयोग के रूप में किया जाता है। इनकी अध्यक्षता बहुसंख्यक होती है अर्थात आयोग का प्रमुख एक व्यक्ति न होकर एक 'आयोग' होता है और सदस्यों के बीच बंटी होती है। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि इनके निर्णय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रीति से किए जा सकें।

(2) आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति से लम्बा होना → इनकी दूसरी विशेषता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल से लम्बा होना है तथा कि कार्यकाल में असमान होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष की है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 से

अतः इनका कार्य-काल राष्ट्रपति के कार्य काल से अधिक लम्बा होता है इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को आयोग के सब सदस्यों को एक साथ अन्य पदाधिकारियों की भांति नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता। किसी राष्ट्रपति के कार्य काल में अधिकांश सदस्य उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं अतः राष्ट्रपति इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है अतः ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते रहते हैं।

(3) मिश्रित प्रकृति के कार्य → इन आयोगों के कार्य मिले-जुले होते हैं। अर्थात् प्रशासनिक, अर्ध विधायी, तथा अर्ध-न्यायिक उदाहरण के लिए अन्तर राज्यीय वाणिज्य आयोग को ले सकते हैं। इसको राष्ट्रव्यापी यातायात व्यवस्था को बनाये रखने और उसका विकास करने का काम सौंपा गया है। अपना कार्य करने के लिए उसे इस बारे में नियमों और विनियमों के द्वारा नीतियाँ तय करनी पड़ती है। इनके ये कार्य अर्ध विधायी हैं। आयोगों को यह नियम और विनियम लागू भी करने पड़ते हैं। यह कार्य प्रशासनिक कार्य है। उन्हें स्वयं अपनी ओर से तथा सम्बन्धित पक्षों की शिकायत पर यह निर्णय भी करना पड़ता है कि किसी प्रकरण में नियमों और विनियमों का पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। यह कार्य अर्ध न्यायिक कार्य है। अतः इन आयोगों के कार्य मिश्रित प्रकृति के होते हैं।

(4) वित्तीय स्वायत्तता → इन आयोगों को शक्तिशाली तथा स्वतंत्र बनाये रखने के लिए अपने कार्य संचालन के लिए पूरा वित्तीय अधिकार दिया गया है। ये अपनी सम्पत्ति रख सकते हैं, उन्हें बैंकों में अपना हिसाब रखने तथा अपनी आय-व्यय का नियंत्रण रखने का अधिकार है। इसके लिए वे सरकारी बजट पर निर्भर नहीं होते हैं। इसी कारण उनको अपने प्रशासन में पूरी स्वतंत्रता होती है।

(5) विभेदकारी आयोग → इन आयोगों में विशेषज्ञ कार्यरत हैं और इनका आकार छोटा होता है। ये मण्डल अथवा टीम की तरह होते हैं। जिनमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी समस्या पर विवाद के माध्यम से शीघ्र निर्णय लेता है।

(6) मुख्य कार्यपालिका से स्वतंत्र → ये आयोग मुख्य कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। ये प्रत्यक्षतः मुख्य निष्पादक के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।

(7) विधायिका के कानूनों द्वारा निर्मित → ये आयोग कॉंग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित होते हैं और कॉंग्रेस द्वारा ही इनकी स्थापना, कार्य तथा दायित्व निर्धारित किये जाते हैं। इनकी सत्ता कॉंग्रेस द्वारा दी जाती है और कॉंग्रेस ही इनके अधिकारों में परिवर्तन व समाप्त कर सकती है।